तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 150/2018 कानाराम उर्फ बस्तीराम बनाम सरकार आदि, अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 136 एल.आर.एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
19.08.2019		

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कानाराम दर्ज हैं, जबकि वादी का वास्तविक नाम बस्तीराम है तथा इसी नाम से वादी के विद्यालय के कागजात मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि बने हैं। जमाबंदी में विरास्तन इंतकाल करते समय वादी का घरेलू नाम कानाराम दर्ज कर दिया गया। जिसे दुरूस्त करवा वादी कानाराम उर्फ बस्तीराम करवाना चाहता हैं। अतः चक 6 बी.पी.एम. खाता सं. 45/45 मु.नं. 64 प.नं. 117/332 के कि.नं. 1 ता 25 में 6.325है कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला में जमाबंदी के कॉलम सं. 4 में कानाराम के स्थान पर कानाराम उर्फ बस्तीराम की दुरूस्ती कर डिक्री पारित करने एवं कानाराम उर्फ बस्तीराम नाम से खातेदार घोषित करने हेतु निवेदन किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता हैं तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं हैं। वादी की ओर से शपथ पत्र कृष्णा एवं भागवंती का पेश हुआ। बहस पक्षकारान सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने वाद स्वीकार कर दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत 12 एन.आर.डी. (बिशनपुरा सिगड़ान) पं.स. रायसिंहनगर दिनांक 31.10.2018 अनुसार कानाराम एवं बस्तीराम दोंनो एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन तथ्यों एवं शपथ पत्र कृष्णा व भागवंती तथा प्रमाण पत्र सरपंच12 एन.आर.डी. (बिशनपुरा सिगड़ान) के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता हैं। तथा चक 6 बी.पी.एम. खाता सं. 45/45 मु.नं. 64 प.नं. 117/332 के कि.नं. 1 ता 25 में 6.325है कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला में जमाबंदी के कॉलम सं. 4 में कानाराम के स्थान पर कानाराम उर्फ बस्तीराम की दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner